

### उपोच्चन्ध

भारत गणराज्य की सरकार तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की  
सरकार के बीच व्यापारिक नौपरिवहन

### करार

भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार  
बीच 9 अगस्त, 1971 को सम्पन्न शांति, मिलता और सहयोग संधि से मार्गदर्शन लेते हुए,

दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक अथवा व्यापारिक सहयोग को यथा-  
सम्भव विस्तार और गहनता प्रदान करने की समान आकांक्षा की पूर्ति के उद्देश्य से, जैसा  
कि 29 नवम्बर, 1973 को सम्पन्न आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को और विकसित करने  
से सम्बद्ध करार में सोचा गया था, और

दोनों देशों के व्यापारिक नौपरिवहन को विकसित करने की इच्छा से,  
नीदे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :—

### अनुच्छेद 1

इस करार के प्रयोजन के लिए :

1. संविदाकारी पक्ष के “पोत” का अभिप्राय होगा कोई भी ऐसा व्यापारिक पोत,  
जो उक्त संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रदृष्टव्य के साथ उसके अपने कानून के अनुसार चल रहा हो ।  
इस परिभाषा के अन्तर्गत व युद्ध पोत और भूत्य पोत शामिल नहीं जिन पर इस करार के  
प्रावधान लागू नहीं होते ।

2. “कर्मी दल के सदस्य” का अभिप्राय होगा उस पोत का “मास्टर” और कोई<sup>2</sup>  
भी ऐसा व्यक्ति जो यात्रा के दौरान उस पोत पर काम पर लगा हो अथवा सेवा में हो  
और कर्मी दल की सूची में शामिल हो ।

### अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्ष दोनों देशों के पोतों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे और कोई  
भी ऐसी कार्यवाही करने से बचेंगे जो कि व्यापारिक नौपरिवहन के विकास को नुकसान  
पहुंचा सकती हो ।

### अनुच्छेद 3

संविदाकारी पक्ष अपने-अपने देशों में नौपरिवहन सम्बन्धी मामलों के लिए जिम्मेदार  
प्राधिकरणों के बीच प्रभावशाली कार्यकारी सम्बन्ध बनाये रखने और उन्हें विकसित करने  
की दिशा में प्रयत्न जारी रखें । संविदाकारी पक्ष खासतौर से इस बात पर सहमत हैं कि  
इन प्राधिकरणों के बीच वे आपसी परामर्श और जानकारी का परस्पर आदान-प्रदान करते  
रहेंगे तथा अपने यहां के नौपरिवहन संगठनों अथवा उद्यमों के बीच सम्पर्क के विकास  
को प्रोत्साहित करेंगे ।

### अनुच्छेद 4

1. संविदाकारी पक्ष माल उठाने और भाड़े से होने वाली आमदनी में समता और अन्य सभी बातों में समानता के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देशों के पत्तनों के बीच सभी वाणिज्यिक माल ले जाने में अपने पोतों की भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हैं। समता का हिसाब लगाने में, संविदाकारी पक्षों के क्षेत्र में स्थित सभी पत्तनों से दूरे सभी पत्तनों को माल लाने-ले जाने को ध्यान में रखा जायेगा।

2. अगर दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष की नौपरिवहन कम्पनियां पैरा 1 के उपबन्ध के अनुसार ढुलाई करने में असमर्थ हों तो इस ढुलाई के दाम की पेशकश दूसरे संविदाकारी पक्ष के पोतों से की जाएगी। अगर दूसरे संविदाकारी पक्ष के पास अधिकार का उपलब्ध न हो तो पहले संविदाकारी पक्ष के हिस्से के माल की ढुलाई के लिए वह किसी तीसरे देश के चार्टर्ड पोत का इस्तेमाल कर सकता है।

### अनुच्छेद 5

संविदाकारी पक्ष इतर देशों के साथ अपने व्यापार की व्यावश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अपने व्यापारिक बड़े का अधिकतम उपयोग करने के प्रत्येक पक्ष के अधिकार का सम्मान करेंगे। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि एक पक्ष की राष्ट्रीय नौपरिवहन कम्पनियां अपने व्यापारिक पोतों के सर्वाधिक प्रभावशाली नियोजन के क्षेत्र में दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय नौपरिवहन कम्पनियों के साथ सहयोग करेंगी।

### अनुच्छेद 6

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को तथा उसके पोतों को व्यापारिक नौपरिवहन से सम्बद्ध सभी मामलों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करेगा जब तक कि इस करार में कोई अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

### अनुच्छेद 7

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, पत्तनों पर निर्वाचित प्रवेश, माल लादने-उतारने और याक्रियों को चढ़ाने-उतारने में, पत्तनों के प्रयोग, टनभार तथा पत्तन की अन्य देयताओं तथा करों के सम्बन्ध में, नौपरिवहन के लिए निर्दिष्ट सेवाओं के प्रयोग कि सम्बन्ध में और सामान्य वाणिज्यिक कार्यों में दूसरे संविदाकारी पक्ष के पोतों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-कार्य में रत अपने जहाजों के साथ करता है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबन्ध :—

- (क) उन पत्तनों पर लागू नहीं होंगे जो विदेशी जहाजों के प्रवेश के लिए खुले न हों।
- (ख) उन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ने अपने संगठनों अथवा उद्यमों के लिए आरक्षित कर रखे हों, जिनमें राष्ट्रीय तटीय व्यापार और समुद्र में मछली पकड़ना विशेष रूप से शामिल है।
- (ग) किसी संविदाकारी पक्ष को बाध्य नहीं करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के जहाजों को भी पोत चालन सम्बन्धी उन अनिवार्य घटनों से छूट दे जो उसने अपने जहाजों को दे रखी हैं।
- (घ) विदेशियों के प्रवेश और ठहरने से सम्बन्धित वित्तियों पर लागू नहीं होंगे।

### अनुच्छेद ८

संविदाकारी पक्ष अपने कानून और पत्तन विनियमों की सीमाओं में रहते हुए समृद्धि यातायात में सुविधा पहुंचाने और उसकी गति तेज करने के लिए पोतों में होने वाले सम्बन्ध को रोकने के लिए, और पत्तनों पर लागू होने वाली सीमाशुल्क सम्बन्धी तथा दूसरी अधिकारिकताओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करवाने और उन्हें यथासम्भव सरल बनाने के लिए समर्चित सभी उपाय करेंगे।

### अनुच्छेद ९

1. पोत के पंजीयकरण से सम्बद्ध दस्तावेज टनभार तथा सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र तथा दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किए गए अधिवा मान्यता प्रदान किए गए जहाज वे दस्तावेजों को दूसरा संविदाकारी पक्ष मान्यता प्रदान करेगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के ऐसे पोतों को, जिनके पास कानूनी रूप से जारी किए गए टनभार प्रमाण-पत्र होंगे, दूसरे पक्ष के पत्तनों पर दुबारा महीं तोला जाएगा और प्रमाणों-पत्रों में जो शुद्ध टनभार लिखा होगा उसी के आधार पर टनभार सम्बन्धी देयताओं का हिसाब फैलाया जाएगा।

### अनुच्छेद १०

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए नाविक पहचान-प्रलेखों को मान्यता देगा।

ये पहचान-प्रलेख हैं :—

सोविष्यत पोतों के नाविकों के लिए सोविष्यत समाजवादी गणतंत्र संघ के नाविक का पासपोर्ट,

भारतीय पोतों के नाविकों के लिए भारतीय नाविक का 'कन्टीन्यूयस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट'।

### अनुच्छेद ११

इस करार के अनुच्छेद १० में बताए गए नाविक पहचान-प्रलेख जिसके पास होंगे उसे, जहां तक उस संविदाकारी पक्ष के पोत के कर्मी दल के सदस्यों का प्रश्न है जिसने ये नाविक पहचान-प्रलेख जारी किए हों, दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तन पर उस पोत के पड़ाव के दौरान अस्थायी तट अवकाश पर बिना दीजा के रूपते दिया जाएगा, बशर्ते कि उस पोत के "मास्टर" ने उस पत्तन विशेष पर लागू विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को कर्मी दल की सूची पेश कर दी हो।

पत्तन पर उत्तरते समय और पोत पर लौटते समय उपर्युक्त व्यक्तियों पर उस पत्तन पर लागू सीमांत एवं सीमाशुल्क नियंत्रण लागू होंगे।

### अनुच्छेद १२

1. इस करार के अनुच्छेद १० में निर्दिष्ट नाविक पहचान-प्रलेख धारी को परिवहन के किसी भी तरीके से दूसरे संविदाका वी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश करने की अधिवा अपने पोत पर जाते हुए या दूसरे पोत को जाते ए उनके प्रदेश से होकर गुजरने की, अधिवा स्वदेश वापस जाते हुए, अधिवा किसी ऐसे अन्य कारण से यात्रा करते हुए जिसे संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश की अनुमति होगी।

2. इस करार के अनुच्छेद 1 में बताए गए सभी मामलों में नाविक के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष का समुचित बीजा अवश्य होना चाहिए जो कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियोंद्वारा उन्हें कम-से-कम सम्भव समय में जारी कर दिया जायेगा।

3. इस करार के अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट नाविक पहचान-प्रलेखधारी अगर दोनों में से किसी भी देश का नागरिक न हो तो, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रदेश करने वाले उससे गुजरने के लिए इस अनुच्छेद में जिस बीजा की चर्चा की गई है वह प्रदान कर दिया जाएगा बश्तों कि इस प्रकार के प्रलेखधारी की ओर से उस संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में वापसी की गारंटी दे दी जाए जिसने उसे नाविक पहचान-प्रलेख जारी किया हो।

#### अनुच्छेद 13

1. स.करार के अनुच्छेद 10 से 12 तक की व्यावस्थाओंके अधीन, विदेशियों के प्रवेश, प्रवास और प्रस्थान से सम्बद्ध विनियम संविदाकारी पक्ष के प्रदेशों में लागू रहेगे।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भी ऐसे नाविक को अपने प्रदेश में प्रवेश को अनुमति न दे जिसे वह अवांछनीय समझता हो। ऐसी स्थिति में उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम राजनयिक अथवा कौसली अधिकारी को, जिसके नाविक को प्रवेश को अनुमति न दी गयी हो, इस नियंत्रण की सूचना दे दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 14

किसी संविदाकारी पक्ष के न्यायिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के कर्मी दल के किसी सदस्य की सेवा संविदा से उत्पन्न किसी एकदमे की मुनाफाई पोत के छवज देश के सक्षम राजनयिक अथवा कौसली अधिकारी की सहमति के बिना नहीं करेंगे, सिवाय उन मामलों के जिनमें सेवा संविदा पहले संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में सम्पन्न हुई हो।

#### अनुच्छेद 15

1. किसी एक संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में स्थापित नौपरिवहन कम्पनियों से दूसरे संविदाकारी पक्ष उस आमदनी पर किसी प्रकार का कर नहीं ले गा जो उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तनों से पहले संविदाकारी पक्ष के पत्तनों पर माल पहुंचाने से हुई हो।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में स्थापित नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा अपने पत्तनों से तीसरे देश के पत्तनों को माल ले जाने से होने वाली आमदनी पर कर लगा सकता है लेकिन इस प्रकार की आमदनी पर लगाया जाने वाला कर वास्तविक कर की दो-तिहाई राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा।

#### अनुच्छेद 16

1. अगर किसी एक संविदाकारी पक्ष का कोई पोत दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भग्न हो जाता है जमीन में ब्रंस जाता है किनारे जा पड़ता है अथवा उसमें किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में उस पोत को, उसके कर्मी दल को और उसके यात्रियों को उसी प्रकार की सहायता दी जाएगी जो कि वह पक्ष अपने राष्ट्रीय पोतों, कर्मी दल, यात्रियों और माल के सम्बन्ध में देता है।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के भानपोत, उसके माल और सापान पर किसी प्रकार का सीधा शुल्क नहीं लगाएगा जब तक कि वे डलिखित प्रथम पक्ष के प्रदेश में प्रश्रोत के लिए सौंप न दिए जाएं।

3. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबन्ध से सम्बद्ध संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के व्यवहार पर तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर कोई शोक नहीं आयेगी।

#### अनुच्छेद 17

1. इस करार के कुल काम का मूल्यांकन, पर्येक्षण एवं पुनरीक्षण करने तथा अग्रर कोई असला खड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के उद्देश्य से संविदाकारी पक्ष एक अन्तर-सरकारी नौपरिवहन संयुक्त समिति स्थापित करने पर सहमत होते हैं जिसकी सावधिक बैठकें होगी। दोनों पक्ष इस संयुक्त समिति में अपने-अपने प्रतिनिधि नामजद करेंगे।

2. भारत-सोवियत नौपरिवहन सेवा सचिवालय (जिसे "सोविन्दिपिप" कहा जाता है); बम्बई, जिसका प्रबन्ध भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई और "जुजजेफलोट", मास्को करते हैं, दोनों देशों के बीच नौपरिवहन के काम-काज से सम्बद्ध रोजमर्ग के मामलों को देखेग। अगर आवश्यकता हो तो प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचित कर के किसी दूसरे संगठन को भी नामजद कर सकता है।

#### अनुच्छेद 18

व्यापारिक नौपरिवहन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच पहले के जो भी प्रबन्ध और प्रोतोकोल होंगे लागू रहेंगे जब तक कि वे इस करार के उपबन्धों के विरुद्ध न पड़ते हों।

#### अनुच्छेद 19

प्रत्येक पक्ष इस करार के लागू होने से सम्बद्ध आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में दूसरे पक्ष को सूचना देगा। अन्तिम सूचना की तारीख से तीस दिन बाद यह करार लागू हो जाएगा।

यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इसके बाद हर बार एक-एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इस करार अथवा इसके उपबन्धों पर पुनः बोतली करने की अपनी इच्छा, इस आवश्यकी लिखित, सूचना दूसरे संविदाकारी पक्ष को उपर्युक्त किसी अवधि में कम-से-कम छह महीने पहले देकर, व्यक्त न कर दे।

इसके साथ में, अधीक्षताकारकर्ताओं ने, जिन्हें उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने यथोचित अधिकार दिया है इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, नई दिल्ली में, इसी सन् 1976 के जूलाई मास के उन्नीसवें दिन, हिन्दी, हसी और अंग्रेजी भाषाओं में, प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों में, सम्पन्न हुआ, सभी पाठ समान रूप से प्रयोगिक हैं।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

(डॉ जी. एस. डिल्लौ),

सोवियत सशाजवादी गणराज्य संघ की  
सरकार की ओर से

(टी० वी० गुजन्को)

[सं० 1588/फा० सं० 501/1/73-एक० टी० डी०]

श्रीराम मेहता, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार भूदणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976  
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976.

No. 1538  
No. 1358



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रांधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1976/पौष 2, 1898

No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1976/PAUSA 2, 1898

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 23rd December 1976

G.S.R. 943(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Union of Soviet Socialist Republics on Merchant Shipping has been concluded:

And whereas Article 15 of the said Agreement provides for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income derived from the carriage of cargo;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surplus Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Article of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India,

**ANNEXURE  
AGREEMENT**

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON MERCHANT SHIPPING

The Government of the Republic of India and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics,

Being guided by the provisions of the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation between the Republic of India and the Union of Soviet Socialist Republics dated August 9, 1971,

Proceeding from the common aspiration for all possible expansion and deepening of mutually beneficial economic and trade cooperation between the two countries as envisaged in the Agreement on the further Development of Economic and Trade Cooperation dated November 29, 1973, and

Desirous of developing merchant shipping of the two countries,

Have agreed as follows:

**Article 1**

For the purposes of this Agreement:

1. The term "vessel" of the Contracting Party shall mean any merchant vessel plying under the national flag of the Party in accordance with its legislation. This definition excludes warships and fishing vessels from the sphere of application of this Agreement.

2. The term "member of the crew" shall mean the master and any other person actually employed for duties on board during a voyage in the working or service of a vessel and included in the crew list.

**Article 2**

The Contracting Parties shall grant all possible assistance to the vessels of the two countries and shall refrain from taking any action which might cause harm to the development of merchant shipping.

**Article 3**

The Contracting Parties shall continue their efforts to maintain and develop effective working relationships between the authorities responsible for maritime affairs in their countries. In particular, the Contracting Parties agree to carry on mutual consultations and reciprocal exchange of information between these authorities and to encourage the development of contacts between their respective shipping organizations or enterprises.

**Article 4**

1. The Contracting Parties agree to promote the participation of their vessels in the carriage of all commercial cargoes between the ports of the two countries on the principles of parity in cargo liftings and freight earnings and equality in all other respects. In the calculations of parity, the shipments to and from all ports situated in the territory of the Contracting Parties shall be taken into account.

2. In case the shipping companies of one of the Contracting Parties are not able to undertake the carriage in accordance with the provisions of paragraph 1, such carriage will be offered to the vessels of the other Contracting Party. If the required tonnage is not available with the other Contracting Party, the shipping companies of the first mentioned Contracting Party may use chartered vessels from third countries for the carriage of the share of cargo of that Contracting Party.

**Article 5**

The Contracting Parties shall respect the right of each Party to utilise its merchant fleet to the maximum in entering to its trades with third countries. They further agreed that the national shipping companies of one Party will cooperate with the national shipping companies of the other Party in the field of the most efficient employment of their merchant vessels.

### Article 6

Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party and its vessels the most-favoured-nation treatment in all matters concerning merchant shipping unless otherwise provided for in this Agreement.

### Article 7

1. Each Contracting Party shall afford to vessels of the other Contracting Party the same treatment as it affords to its own vessels engaged in international trade in respect of free access to ports, use of ports for loading and unloading cargoes and for embarking and disembarking passengers, payment of tonnage and other ports dues and taxes, use of services intended for navigation and normal commercial operations.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article—

- (a) shall not apply to ports not open to the entry of foreign vessels;
- (b) shall not apply to the activities reserved by each of the Contracting Parties for its organizations or enterprises, including, in particular, national cabotage and ocean fishing;
- (c) shall not oblige a Contracting Party to extend to vessels of the other Contracting Party exemptions from compulsory pilotage requirements granted to its own vessels;
- (d) shall not apply to the regulations concerning entry and stay of foreigners.

### Article 8

The Contracting Parties shall adopt, within the limits of their law and port regulations, all appropriate measures to facilitate and expedite maritime traffic, to prevent delays to vessels, and to expedite and simplify as much as possible the carrying out of customs and other formalities applicable in ports.

### Article 9

1. The documents relating to registration of vessels, certificates of tonnage and survey and other ship's documents issued or recognised by one of the Contracting Parties shall be recognised by the other Party.

2. The vessels of each of the Contracting Parties holding legally issued certificates of tonnage shall not be subjected to remeasurement in the ports of the other Party and the net tonnage of the vessels noted in the certificates shall be taken as the basis for calculation of the tonnage dues.

### Article 10

Each of the Contracting Parties shall recognise the seamen's identity documents issued by the competent authorities of the other Contracting Party.

These identity documents are:

- for seamen of the Soviet vessels—a USSR Seaman's Passport;
- for seamen of the Indian vessels—an Indian Seaman's Continuous Discharge Certificate,

### Article 11

Holders of the seamen's identity documents specified in Article 10 of this Agreement shall be permitted in the case of members of the crew of the vessel of the Contracting Party which issued the seamen's identity documents, to land on temporary shore leave without visa during stay of the vessel in port of the other Contracting Party, provided that the master had submitted the crew list to the competent authorities in accordance with the regulations in force in that port.

While landing and returning to the vessel the said persons shall be subject to frontier and customs control in force in that port.

### Article 12

1. Holders of the seamen's identity documents specified in Article 10 of this Agreement shall be permitted to enter by any means of transport the territory of the other Contracting Party or to pass through its territory in transit on the way to their vessel or while going to another vessel, or on the way to their home country, or for travelling for any other reason which will be approved by the authorities of the other Contracting Party.

2. In all the cases specified in paragraph 1 of this Article the seaman must have appropriate visa of the other Contracting Party which shall be granted by the competent authorities within the shortest possible time.

3. If the holder of the seaman's identity document specified in Article 10 of this Agreement is not a citizen of either country, the visa specified in this Article for entry into or transit passage through the territory of the other Contracting Party shall be granted provided that return to the territory of the Contracting Party, which had issued the seaman's identity document, is guaranteed to the holder of such document.

#### Article 13

1. Subject to the provisions of Articles 10 to 12 of this Agreement, the regulations in respect of the entry, stay and departure of foreigners retain their force in the territories of the Contracting Parties.

2. Each of the Contracting Parties reserves the right to deny entry into its territory to any seaman whom it considers undesirable. In that event the competent diplomatic or consular official of the Contracting Party whose seaman has been denied entry shall be informed of the decision.

#### Article 14

The judicial authorities of a Contracting Party shall not entertain proceedings arising out of a contract of service as a member of the crew of a vessel of the other Contracting Party without the consent of the competent diplomatic or consular official of the flag country of the vessel except in cases when the contract of service was concluded within the territory of the former Contracting Party.

#### Article 15

1. Shipping companies established in the territory of one Contracting Party shall not be charged by the other Contracting Party any tax on the income derived from the carriage of cargo from the ports of the latter to the ports of the former.

2. Each Contracting Party may levy tax on income derived by the shipping companies established in the territory of the other Contracting Party from the carriage of cargo from its ports to the ports of third countries provided that the tax leviable on such income shall be reduced by an amount equivalent to two-thirds thereof.

#### Article 16

1. If a vessel of one of the Contracting Party suffers shipwreck, runs aground, is cast ashore or suffers any other accident within the national limits of the other Contracting Party, the vessel, the crew, the passengers and the cargo shall receive, in the territory of the latter Party, the same assistance which is accorded by that Party to its national vessel, crew, passengers and cargo.

2. No customs duty shall be levied by one Contracting Party against a shipwrecked vessel, its cargo or stores of the other Contracting Party unless they are delivered for use in the territory of the first mentioned Party.

3. Nothing in the provisions of this Article shall prevent the application of the laws and regulations of the Contracting Parties and their international obligations.

#### Article 17

1. For the purpose of evaluating, supervising and reviewing the overall working of this Agreement and resolving any outstanding issues, the Contracting Parties agree to set up an Intergovernmental Joint Committee on shipping which will meet periodically. The Parties will nominate their representatives to the Joint Committee.

2. The Indo-Soviet Shipping Service Secretariat (called as SOVINDSHIP) Bombay, managed by the Shipping Corporation of India Ltd., Bombay, and JUZHFLOT, Moscow, will attend to matters of normal day to day shipping operations, between the two countries.

Each Party may, if necessary, nominate any other organisation in place of the above by notifying to the other Party.

#### Article 18

All the previous arrangements and protocols between the two Parties relating to merchant shipping will continue to remain in force so far as they are not inconsistent with the provisions of this Agreement.

#### Article 19

Each of the Contracting Parties shall notify the other Party about completion of necessary procedures for this Agreement to enter into force. The Agreement shall enter into force after thirty days from the date of the last notification.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and thereafter be automatically extended for a one year period at a time unless either of the Contracting Parties expresses its desire to renegotiate the Agreement or any of its provisions by giving a written notice to the other Contracting Party to that effect six months prior to the expiry of any of the above mentioned periods.

In witness whereof, the undersigned duly empowered by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in New Delhi on this the 19th July 1976 in two original copies each in Hindi, Russian and English languages, all texts being equally authentic.

For the Government of the  
Republic of India

Sd./-

(DR. G. S. DHILLON)

For the Government of the Union  
of Soviet Socialist Republics

Sd./-

(T. B. GUZHENKO)

[No. 1838/F. No. 501/1/73-FTD]

S. R. MEHTA, Addl. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

आधिकार

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1976

साठ का० नि० 943(अ) —यतः भारत सरकार और सेवित समाजवादी गणतंत्रीय संघ के बीच वाणिज्यिक जहाजरानी के सम्बन्ध में संतरन करार कर लिया गया है;

और यतः नीमार-वहन से प्राप्त श्राव पर करों के सम्बन्ध में, उक्त करार के अनुच्छेद 15 में, दोहरे करधान के निवारणार्थ व्यवस्था है;

यतः, ग्रंथ, आधिकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (वाम) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केवल सरकार एवं द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के उक्त अनुच्छेद के उपबन्ध भारतीय संघ में प्रवाही होंगे।

### उपायक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की  
सरकार के बीच व्यापारिक नौपरिवहन

#### करार

भारत गणराज्य को सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की  
बीच 9 अगस्त, 1971 को सम्पन्न शांति, मिलता और सहयोग संधि से मार्गदर्शन लेते हुए,

दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक अथवा व्यापारिक सहयोग को यथा-  
सम्भव विस्तार और गहनता प्रदान करने की समान आकृक्षा की पूर्ति के उद्देश्य से, जैसा  
कि 29 नवम्बर, 1973 को सम्पन्न आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को और विकसित करने  
से सम्बद्ध करार में सोचा गया था, और

\* दोनों देशों के व्यापारिक नौपरिवहन को विकसित करने की इच्छा से,  
नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैः—

#### अनुच्छेद 1

इस करार के प्रयोजन के लिए :

1. संविदाकारी पक्ष के “पोत” का अभिप्राय होगा कोई भी ऐसा व्यापारिक पोत,  
जो उक्त संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रीयवज के साथ उसके अपने कानून के अनुसार चल रहा हो।  
इस परिभाषा के अन्तर्गत व युद्ध पोत और मत्स्य पोत शामिल नहीं जिन पर इस करार के  
प्रावधान लागू नहीं होते।

2. “कर्मी दल के सदस्य” का अभिप्राय होगा उस पोत का “मास्टर” और कोई  
भी ऐसा व्यक्ति जो यात्रा के दौरान उस पोत पर काम पर लगा हो अथवा सेवा में हो  
और कर्मी दल की सूची में शामिल हो।

#### अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्ष दोनों देशों के पोतों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे और कोई  
भी ऐसो कार्यवाही करने से बचेंगे जो कि व्यापारिक नौपरिवहन के विकास को नुकसान  
पहुंचा सकती हो।

#### अनुच्छेद 3

संविदाकारी पक्ष अपने-अपने देशों में नौपरिवहन सम्बन्धी मामलों के लिए जिम्मेदार  
प्राधिकरणों के बीच प्रभावशाली कार्यकारी सम्बन्ध बनाये रखने और उन्हें विकसित करने  
की दिशा में प्रयत्न जारी रखें। संविदाकारी पक्ष खासतौर से इस बात पर सहमत हैं कि  
इन प्राधिकरणों के बीच वे आपसी परामर्श और जानकारी का परस्पर आदान-प्रदान करते  
रहेंगे तथा अपने अपने यहाँ के नौपरिवहन संगठनों अथवा उद्यमों के बीच सम्पर्क के विकास  
को प्रोत्साहित करेंगे।

### अनुच्छेद ४

1. संविदाकारी पक्ष माल उठाने और भाड़े से होने वाली आमदनी में समता और अन्य सभी बातों में समानता के सिद्धांतों के अधार पर दोनों देशों के पतनों के बीच सभी वाणिज्यिक माल ले जाने में अपने पोतों की भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हैं। समता का हिसाब लगाने में, संविदाकारी पक्षों के क्षेत्र में स्थित सभी पतनों से दूसरे सभी पतनों को माल लानेने जाने को ध्यान में रखा जायेगा।

2. अगर दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष की नीपरिवहन कम्पनियां पैरा 1 के उपबन्ध के अनुसार ढुलाई करने में असमर्थ हों तो इस ढुलाई के दाम की पेशकश दूसरे संविदाकारी पक्ष के पोतों से की जाएगी। अगर इसरे संविदाकारी पक्ष के पास अधिकत टनभार उपलब्ध न हो तो पहले संविदाकारी पक्ष के हिस्से के माल की ढुलाई के लिए वह किसी तीसरे देश के चार्टर्ड पोत का इस्तेमाल कर सकता है।

### अनुच्छेद ५

संविदाकारी पक्ष इतर देशों के साथ अपने व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अपने व्यापारिक बेड़े का अधिकतम उपयोग करने के प्रत्येक पक्ष के अधिकार का सम्मान करेंगे। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि एक पक्ष की राष्ट्रीय नीपरिवहन कम्पनियां अपने व्यापारिक पोतों के सर्वाधिक प्रभावशाली नियोजन के क्षेत्र में दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय नीपरिवहन कम्पनियों के साथ सहयोग करेंगी।

### अनुच्छेद ६

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को तथा उसके पोतों को व्यापारिक नीपरिवहन से सम्बद्ध सभी मामलों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करेगा जब तक कि इस करार में कोई अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

### अनुच्छेद ७

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, पतनों पर निर्वाचित प्रवेश, माल लादने-उतारने और यात्रियों को चढ़ाने-उतारने में, पतनों के प्रयोग, टनभार तथा पतन की अन्य देयताओं तथा करों के सम्बन्ध में, नीपरिवहन के लिए निर्दिष्ट सेवाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में और सामान्य वाणिज्यिक कार्यों में दूसरे संविदाकारी पक्ष के पोतों के साथ बैठा ही व्यवहार करेगा जैसा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकार्य में रख अपने जहाजों के साथ करता है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबन्ध :—

- (क) उन पतनों पर लागू नहीं होंगे जो विदेशी जहाजों के प्रवेश के लिए खुले न हों।
- (ख) उन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ने अपने संगठनों अथवा उद्यमों के लिए आरक्षित कर रखे हों, जिनमें राष्ट्रीय तटीय व्यापार और समुद्र में मछली पकड़ना विशेष रूप से शामिल है।
- (ग) किसी संविदाकारी पक्ष को बाध्य नहीं करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के जहाजों को भी पोत चालन सम्बन्धी उन अनिवार्य शर्तों से छूट दे जो उसने अपने जहाजों को दे रखी हैं।
- (घ) विदेशियों के प्रवेश और छहरने से सम्बन्धित विनायमों पर लागू नहीं होंगे।

### अनुच्छेद ८

संविदाकारी पक्ष अपने कानून और पत्तन विनियमों की सीमाओं में रहते हुए समुद्री यातायात में सुविधा पहुँचाने और उसकी गति तेज़ करने के लिए, पोतों में होने वाले विस्तृत को रोकने के लिए, और पत्तनों पर लागू होने वाली सीमाशुल्क सम्बन्धी तथा दूसरी श्रीपत्रारिकाताओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करवाने और उन्हें यथासम्भव सरल बनाने के लिए समर्चित सभी उपाय करें।

### अनुच्छेद ९

1. पोत के पंजीयकरण से सम्बद्ध दस्तावेज टनभार तथा सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र तथा दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किए गए अथवा मान्यता प्रदान किए गए जहाज वे दस्तावेजों को दूसरा संविदाकारी पक्ष मान्यता प्रदान करेगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के ऐसे पोतों को, जिनके पास कानूनी रूप से जारी किए गए टनभार प्रमाण-पत्र होंगे, दूसरे अक्ष के पत्तनों पर दुबारा नहीं तोला जाएगा और प्रमाण-पत्रों में जो शुद्ध टनभार लिखा होगा उसी के आधार पर टनभार सम्बन्धी देयताओं का हिसाब फैलाया जाएगा।

### अनुच्छेद १०

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के संक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए नाविक पहचान-प्रलेखों को मान्यता देगा।

ये पहचान-प्रलेख हैं :—

सोवियत पोतों के नाविकों के लिए सोवियत सभाजीवादी गणतंत्र संघ के नाविक का पासपोर्ट,

भारतीय पोतों के नाविकों के लिए भारतीय नाविक का 'कल्टोन्यूयस डिस्ट्राई सटिफिकेट'।

### अनुच्छेद ११

इस करार के अनुच्छेद 10 में बताए गए नाविक पहचान-प्रलेख जिसके पास होंगे उसे, जहां तक उस संविदाकारी पक्ष के पोत के कर्मी दल के सदस्यों का प्रश्न है जिसने ये नाविक पहचान-प्रलेख जारी किए हों, दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तन पर, उस पोत के पड़ाव के दौरान अस्थायी तट अवकाश पर बिना बीजा के रूपने दिया जाएगा, बताते कि उस पोत के "मास्टर" ने उस पत्तन विशेष पर लागू विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को कर्मी दल की सूची पेश कर दी हो।

पत्तन पर उत्तरते समय और पोत पर लौटते समय उपर्युक्त व्यक्तियों पर उस पत्तन पर लागू सीमात एवं सीमाशुल्क नियंत्रण लागू होंगे।

### अनुच्छेद १२

1. इस करार के अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट नाविक पहचान-प्रलेख धारी को परिवहन के किसी भी तरीके से दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश करने की अथवा अपने पोत पर जाते हुए या दूसरे पोत को जाते ए उनके प्रदेश से होकर गुज़रने की, अथवा स्वदेश वापस जाते हुए, अथवा किसी ऐसे अन्य कारण से याता करते हुए जिसे संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश की अनुमति होगी।

2. इस करार के अनुच्छेद 1 में बताए गए सभी मामलों में नाविक के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष का समूचित बीजा अवश्य होना चाहिए जो कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियोंद्वारा उन्हें कम-से-कम सम्बन्ध समय में जारी कर दिया जायेगा।

3. इस करार के अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट नाविक पहचान-प्रलेखधारी श्रगर दोनों में से किसी भी देश का नागरिक न हो तो, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश करने या उससे गुजरने के लिए इस अनुच्छेद में जिस बीजा की चर्चा की गई है वह प्रदान कर दिया जाएगा वश्यों कि इस प्रकार के प्रलेखधारी की ओर से उस संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में वापसी की गारंटी दी जाए जिसने उसे नाविक पहचान-प्रलेख जारी किया है।

### अनुच्छेद 13

1. स करार के अनुच्छेद 10 से 12 तक की व्यवस्थाओं के अधीन, विदेशियों के प्रवेश, प्रवास और प्रस्थान से सम्बद्ध विनियम संविदाकारी पक्ष के प्रदेशों में लागू रहेंगे।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भी ऐसे नाविक को अपने प्रदेश में प्रवेश को अनुमति न दे जिसे वह अवांछनीय समझता हो। ऐसी स्थिति में उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम राजनयिक अथवा कौसली अधिकारी को, जिसके नाविक को प्रवेश की अनुमति न दी गयी हो, इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।

### अनुच्छेद 14

किसी संविदाकारी पक्ष के न्यायिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के कर्मी दल के किसी सदस्य को सेवा संविदा से उत्पन्न किसी मुकदमे की सुनवाई पोत के छवं देश के सक्षम राजनयिक अथवा कौसली अधिकारी की सहमति के बिना नहीं करेंगे, सिवाय उन मामलों के जिनमें सेवा संविदा पहले संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में सम्पन्न हुई हो।

### अनुच्छेद 15

1. किसी एक संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में स्थापित नौपरिवहन कम्पनियों से दूसरा संविदाकारी पक्ष उस आमदनी पर किसी प्रकार का कर नहीं ले गा जो उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तनों से पहले संविदाकारी पक्ष के पत्तनों पर माल पहुंचाने से हुई हो।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में स्थापित नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा अपने पत्तनों से तीसरे देश के पत्तनों को माल ले जाने से होने वाली आमदनी पर कर लगा सकता है, लेकिन इस प्रकार की आमदनी पर लगाया जाने वाला कर वास्तविक कर को दो-तिहाई राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 16

1. अगर किसी एक संविदाकारी पक्ष का कोई पोत दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भान हो जाता है जमीन में धंस जाता है किनारे जा पड़ता है अथवा उसमें किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना हो, जाता है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में उस पोत को, उसके कर्मी दल को और उसके नाविकों को उसी प्रकार को सहायता दी जाएगी जो कि वह पक्ष अपने राष्ट्रीय पोतों, कर्मी दल, नाविकों और माल के सम्बन्ध में देता है।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के भग्नपोत, उसके माल और सम्बन्ध पर किसी प्रकार का सौभाग्य शुल्क नहीं लगाएगा जब तक कि वे उल्लिखित प्रथम पक्ष के प्रदेश में प्रवेश के लिए सौंप न दिए जाएं।

3. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबन्ध से सम्बद्ध संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के व्यवहार पर तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर कोई रोक नहीं आयेगी।

### अनुच्छेद 17

1. इस करार के कुल काम का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं पुनरीक्षण करने तथा अगर कोई मसला खड़ा हो जाए तो उसे सलझाने के उद्देश्य से संविदाकारी पक्ष एक अन्तर-सरकारी नौपरिवहन संयुक्त समिति स्थापित करने पर सहभत होते हैं जिसकी सावधिक बैठकें होतीं। दोनों पक्ष इस संयुक्त समिति में प्रपत्ते-प्रपत्ते प्रतिनिधि नामजद करेंगे।

2. भारत-सोवियत नौपरिवहन सेवा संचिवालय (जिसे "सोविन्दशिप" कहा जाता है); बम्बई, जिसका प्रबन्ध भारतीय जहाजरानी नियम लिमिटेड, बम्बई और "जुजजेप्लोट", मास्को करते हैं, दोनों देशों के बीच नौपरिवहन के काम-काज से सम्बद्ध रोजमर्ग के सामर्त्यों को देखेगा। अगर आवश्यकता हो तो प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचित कर के किसी दूसरे संगठन को भी नामजद कर सकता है।

### अनुच्छेद 18

व्यापारिक नौपरिवहन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच पहले के जो भी प्रबन्ध और प्रोतोकॉल होंगे लागू रहेंगे जब तक कि वे इस करार के उपबन्धों के विरुद्ध न पड़ते हों।

### अनुच्छेद 19

प्रत्येक पक्ष इस करार के लागू होने से सम्बद्ध आवश्यक प्रक्रियाओं के पुरा होने के बारे में दूसरे पक्ष को सूचना देगा। अन्तिम सूचना की तारीख से तीस दिन बाद यह करार लागू हो जाएगा।

यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इसके बाद हर बार एक-एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इस करार अवश्य इसके उपबन्धों पर पुनः बातचीत करने की आपनी इच्छा, इस अवश्य की लिखित, सूचना दूसरे संविदाकारी पक्ष को उपर्युक्त किसी अवधि में कम-से-कम छह महीने पहले देकर, व्यक्त न कर दे।

इसके साथ में, अधीहस्ताकरकर्ताओं ने, जिन्हें उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने घोषित क्रियाकार दिया है इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, नई दिल्ली में, इसी सन् 1976 के जुलाई-मास के उच्चितवें दिन, हिन्दी, झाज, नाई दिल्ली में, अंग्रेजी भाषाओं में; प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों में, सम्पन्न हुआ, सभी पाठ समाप्त रूप से प्रकाशित है।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से  
(डा० जी० एस० दिल्ली)  
[सं० 1588/का० सं० 501/1/73-एफ० टी० डी०]

सोवियत सभाजदादी गणतंत्र संघ की  
सरकार की ओर से

(टी० बी० गुजेन्को)

श्रीराम मेहता, अपर सचिव।

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3(1) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
( DEPARTMENT OF REVENUE )  
NEW DELHI, DATED THE

26th December, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

NO. 2089 (F.No.176/119/77-II (AI): In exercise of the powers conferred by subsection (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Madha Perumal Temple Kilachalai, Nengur Post (Via) Mangamadan, Sirkali Taluk, Tanjore District" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

Sd/-

( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

NO. (F.NO.176/119/77-II (AI))

Copy forwarded to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu III, Madras, with reference to his letter No. 1146(15)/76/T.N.III dated 26.10.77.

He is requested to check up the position regarding the utilisation of the donations by obtaining relevant accounts from the respective religious authorities every year.

2. All Other Commissioners of Income-tax.

3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

4. All Chambers of Commerce, in Tamil Nadu.

  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3(1) OF THE GAZETTE OF INDIA.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
NEW DELHI: DATED THE

20<sup>th</sup> DECEMBER, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOMETAX)

No. 2090 (F.NO.176/139/77-II (AI)): In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Pallikondeswara Swami Temple Renovation Committee, Suratapalli Village, Chittoor District, Andhra Pradesh" for the purposes of the said section.

Sd/  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

NO. (F.NO.176/139/77-II (AI))

Copy forwarded to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh-III, Hyderabad, with reference to his letter No. FR.NO.I/9/80G(2)(b)/76-77 dated 29.8.77.

He is requested to check up the position regarding the utilisation of the donations by obtaining relevant accounts from the respective religious authorities every year.

2. All other Commissioners of Income-tax.
3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.  
Commerce
4. All Chambers of Commerce in Andhra Pradesh.

( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
NEW DELHI: DATED THE 14<sup>TH</sup> DECEMBER, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME-TAX)

No. 2064 (F.No.197/491/76-IT(AI)): In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23G) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Church of North India, New Delhi" for the purpose of the said section from assessment year 1971-72 and for all assessment years commencing from assessment year 1976-77.

Sd

( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

Copy to:-

1. Moderator of the Church of North India, 1, Church Lane, New Delhi-110001 with reference to his letter dated 5.9.77.
2. The Commissioner of Income-tax, Delhi-II, C.R.Building, New Delhi-110001, with reference to Board's Notification No. 1817 dated 13.6.77.
3. All Commissioners of Income-tax.
4. Directors of Ins. (IT)/(R&G)/(P&TR)/(Inv.), New Delhi.
5. Director of CSB Services (Income-tax), 1st Floor, Nizam-e-Ghalib, Metla Sundri Lane, New Delhi (5 copies).
6. All Officers & Sections of I.T. Wing of C.B.D.T., New Delhi.
7. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi (20 copies).
8. Bulletin Sec. of Ins. (N&P), New Delhi (5 copies).
9. Director of Training, IRS (Direct Taxes), Staff College, Nagpur (5 copies).
10. Shri M.B.Rao, Joint Secy., Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), New Delhi.

  
( M. SHASTRI )

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NEW DELHI: DATED THE 1st December, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

NO. 266 (P.NO. 197/85/77-II (A)): In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (2C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Navjivan Trust" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1962-63.


( N. SHASTRI )  
UNDER SECY. TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Raikuri Garden), New Delhi.

Copy to:-

1. The Managing Trustee, Navjivan Trust, P.O. Navjivan, Ahmedabad; 380014.
2. The Commissioner of Income-tax, Gujarat-III, Ahmedabad with reference to his letter No. H/41/201/23/76 dated 28. 4. 77.
3. All Commissioners of Income-tax.
4. Directors of Inr. (IT)/(R&S)/(P&R)/(Inv.), New Delhi.
5. Director of CRM Services (Income-tax) 1st Floor, Alwan-e-Ghalib, Mati Sundri Lane, New Delhi (5 copies).
6. All Officers and Sections of I.T. Wing of C.B.I.T., New Delhi.
7. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi (20 copies).
8. Bulletin Secy. of Dept. of Inr. (R&P), New Delhi (5 copies).
9. Director of Training, I.D. (Direct Taxes), Staff College, Nagpur (5 copies).
10. Shri M.B.Rao, Joint Secy., Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), New Delhi.

  
N. SHASTRI  
UNDER SECY. TO THE GOVERNMENT OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA, GENERAL DIRECTORATE OF CENSORSHIP

CENSORSHIP  
GENERAL DIRECTORATE  
GENERAL DIRECTOR  
1915-1916-1917-1918

LITERATURE  
BOOKS

No. 2056 (Censorship No. 11) In exercise of the power conferred by section 17(2) of the Indian Censorship Act, 1914 (No. 45 of 1914) the General Censorship Board, being General Censorship Board, Central Library, Lalbagh, Bangalore, hereby directs that the place of publication of books mentioned below shall be Urdu as the language of the said books.

(No. 2056)  
IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED BY ACT

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Lalbagh, Bangalore, Madras State.  
(Now Rajendra Press). New Delhi.

Copy forwarded to -

1. The Controller of Publications, Tamil Nadu, Madras, 1918  
reference to his letters H. 822 (132) / 77 C, M. 19, 77.

It is requested to check up the position & taking the classification of the said books by Censor Board referred to from the respective publishing authorities over you.

2. All other Commissioners of Publications.

3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

4. All Comptos of Commerce in Tamil Nadu.



(Date 1918)  
IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED BY ACT

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1A) OF THE GAZETTE OF INDIA.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
NEW DELHI DATED THE

28 NOVEMBER, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

No. 2057 (F.NO.176/112/77-IT(AI): In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Varadaraja Perumal Temple, Thirumenikoodam, Nangur Post (Via) Mangazadam, Sirkali Taluk, Tanjore District" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the Statute said Section.

*Sd/-*  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

No. (F.NO.176/112/77-II(AI))

Copy forwarded to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu-III, Madras, with reference to his letter No.C.NO.1146(12)/77/I.N.III dt.26.10.77.

He is requested to check up the position regarding the utilisation of the donations by obtaining relevant accounts from the respective religious authorities every year.

2. All Other Commissioners of Income-tax.

3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

4. All Chambers of Commerce in Tamil Nadu.

*[Signature]*  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1A) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NEW DELHI: DATED THE 28 NOVEMBER 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

NO. 2058(F.NO.176/115/77-IT(1)): In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Veeraraghavaswami Temple, Tiruvallur, Chingleput District" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

Sd/  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,  
Government of India Press,  
King Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Raisuri Garden), New Delhi.

NO. (F.NO.176/115/77-IT(1))

Copy forwarded to:-


1. The Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu-III, Madras with reference to his letter C.No.1146(31)/76/T.N.III dated 25.10.77.

He is requested to check up the position regarding the utilisation of the donations by obtaining relevant accounts from the respective religious authorities every year.

2. All other Commissioners of Income-tax.

3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

4. All Chambers of Commerce in Tamil Nadu.

  
( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1A) OF THE GAZETTE OF INDIA.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
NEW DELHI DATED THE

28 NOVEMBER, 1977.

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

NO. 2059 (F.NO.176/114/77-II(AI): In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vaikuntanathaperumal Temple, Nangur Post, (Via) Mangamedam, Sirkali Taluk, Thanjavur District" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said Section.

( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

TO

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road Mausupuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

No. (F.NO.176/114/77-II(AI)

Copy forwarded to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu-III, Madras with reference to his letter No.C.NO.1146(14)/76/T.N.III dt.26.10.77.

He is requested to check up the position regarding the utilisation of the donations by obtaining relevant accounts from the respective religious authorities every year.

2. All Other Commissioners of Income-tax.
3. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
4. All Chambers of Commerce in Tamil Nadu.

( M. SHASTRI )  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

ED. 2068 (P. NO. 476) / 17-27(1); ED. 2069 20-01  
by sub-section (1) of Section 20 of the  
(43 of 1958) State Board Government of  
Government of India, dated 23-8-1968  
the State of Tamil Nadu.

30

120 Monogram  
Government of India Press  
Alipore Road, Calcutta & Madras  
Clear Labour Compt. Secy. D.L.D.

Copy to:  
The Comptroller of Education, Tamil Nadu, Madras  
by the Collector No. 110 (D) / M.R.U.D. Co. - 10.7.

15. It is requested to check up the decisions regarding the utilization of the funds by obtaining and verify accounts from the respective authority concerned.

  2. All other cases of Encroachment.
  3. The Commissioner of Revenue of India, New Delhi.
  5. All cases of Encroachment.

# THE CONCERT OF IDEAS



Notification No. 2067

dt. 6.12.77

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, वृहत्पत्रिवार, दिसम्बर 8, 1977/अग्रहायण 17, 1899

No. 521] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1977/AGRAHAYANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

## NOTIFICATION

## INCOME-TAX

New Delhi, the 8th December 1977

**S.O. 827 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 : (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1978.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 116, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 400", the letters and figures "Rs. 1000" shall be substituted.

3. In Appendix II to the principal rules, —

(1) in Form No. 1,—

(a) in Part I, in item 6, for the figures and brackets "71, 73(1)", the figures, letter and brackets "71, 72A, 73(1)" shall be substituted;

(b) Part III shall be omitted;

(c) Part IV shall be re-numbered as Part III;

(d) Note 3 below the Verification shall be omitted.

- (e) in Annexure C, in Part I,—  
 (A) in Sub-Part B, in item 3,—  
 (i) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—  
 “(f) Rural development allowance—sec. 35CC”;  
 (ii) for sub-items (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely  
 (j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)  
 (k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling on employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D”;  
 (iii) sub-items (k) to (n) shall be re-lettered as sub-items (1) to (o) respectively ;  
 (B) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %)” shall be inserted ;  
 (f) in Annexure D, in Part II,—  
 (i) for the words, figures and letters  
 “*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—  
 ‘*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54B, 54D or 54E .....  
 Balance .....  
*Add* : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—  
 section 54E(2) .....;  
 (ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;  
 (g) in Annexure F, in Part I, items 3 to 12 shall be re-numbered as items 4 to 13 respectively and before item 4 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—  
 “3. Profits and gains from newly established small-scale industrial undertaking in certain areas .....  
 80HHA”;  
 (h) in Annexure H, in item 3,—  
 (i) for the words “rent, interest, commission, ”, the words “rent, commission,” shall be substituted ;  
 (ii) for the words “four hundred rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted ;  
 (2) in Form No. 2,—  
 (a) in Annexure D, in Part I,—  
 (i) in Sub-Part B, in item 3,—  
 (A) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—  
 (f) Rural development allowance—sec. 35CC”;  
 (B) for sub-items (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely :—  
 “(j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)  
 (k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling on employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D”;  
 (C) sub-items (k), (l) and (m) shall be relettered as sub-items (l), (m) and (n) respectively ;  
 (ii) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %)” shall be inserted ;  
 (b) in Annexure E, in Part II,—  
 (i) for the words, figures and letters “*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—  
 ‘*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B, 54D or 54 E .....  
 Balance .....  
*Add* : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—  
 section 54E(2) .....;  
 (ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;

(c) in Annexure G, in Part I,—

(i) items 3 to 11 shall be re-numbered as items 4 to 12 respectively and before item 4 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“3. Profits and gains from newly established small-scale industrial undertakings in certain areas 80HHA”;

(ii) in item 12 as so re-numbered, for the figures and letters “80RR, 80S”, the figures and letters “80RR, 80RRA, 80S” shall be substituted ;

(d) in Annexure I, in item 6,—

(i) for the words “rent, interest, commission”, the words “rent, commission,” shall be substituted;

(ii) for the words “four hundred rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted;

(3) in Form No. 3, in Annexure C, in Part II,—

(i) for the words, figures and letters “*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, or 54B”, the following shall be substituted, namely :—

‘*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54 E .....  
Balance .....

*Add* : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—  
section 54E(2); .....

(ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted;

(4) in Form No. 3A,—

(a) in Part I, in item 6, for the figures and brackets “71, 73(1)”, the figures, letter and brackets “71, 72A, 73(1)” shall be substituted;

(b) in Annexure C, in Part I,—

(i) in Sub-Part B, in item 3,—

(A) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

“(f) Rural development allowance—sec. 35CC”;

(B) for sub-item (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely :—

“(j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)

(k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling of employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D”;

(C) sub-item (k) to (n) shall be relettered as sub-items (l) to (o) respectively ;

(ii) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %)” shall be inserted ;

(c) in Annexure D, in Part II,—

(i) for the words, figures and letters “*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—

‘*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B, 54D or 54E .....  
Balance .....

*Add* : Amount deemed to be income chargeable under the head

“Capital gains”—

section 54E(2); .....

(ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted;

(d) in Annexure G,—

(i) for the portion beginning with the word and letter “ANNEXURE G” and ending with the words “PRE-PAID TAXES”, the following shall be substituted, namely :—

“ANNEXURE G : STATEMENT OF PRE-PAID TAXES”;

(ii) for the word and figure “Note 1”, at both the places where they occur, the word “Note” shall be substituted;

(iii) Part II shall be omitted;

(iv) Note 2 shall be omitted ;

(e) in Annexure K, in item 3,—

- (i) for the words “rent, interest, commission,”, the words “rent, commission,” shall be substituted;
- (ii) for the words “four hundred rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted;

(5) in Form No. 50, for the letters and figures “Rs. 400”, the letters and figures “Rs. 1,000” shall be substituted.

[No. 2067 /F. No. 142/22/77-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.,

Central Board of Direct Taxes,

### केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

का० आ० 827(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (वां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 116 के उपनियम (1) में “400 रु०” अक्षरों और संबद्धों के स्थान पर “1000 रु०” अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के उपावन्ध 2 में—

(1) प्रूप सं० 1 में—

(क) भाग 1 में, मद 6 में “71, 73(1)” अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “71, 72क, 73(1)” अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) भाग 3 का लोप किया जाएगा;

(ग) भाग 4 को भाग 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(घ) सत्यापन के नीचे टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपावन्ध ग में, भाग 1 में,—

(क) उपभाग ख में, मद 3 में—

(i) उपमद (च), (छ) और (ज) को उपमद (छ), (ज) और (झ) के रूप में त्रैमाणः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद (छ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(च) ग्राम विकास मोक”—

धारा 35ग्र”;

(ii) उपमद (झ) और (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(झ) सत्कार व्यय—

धारा 37(2) और (2क)

(ज) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-भत्ते पर व्यय—

धारा 37(3) और (4), नियम 6व और 6ष”;

(iii) उपमद (ट) से लेकर (ठ) तक को क्रमशः उपमद (ठ) से लेकर (ण) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;

(ख) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में “दावा किया गया विनियोजन मोक” शब्दों के नीचे “(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(च) उपावन्ध घ में, भाग 2 में,—

(i) “कटौती कीजिए: धारा 53, 54ख और 54व के अधीन छूट की रकम” शब्दों अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“कटौती कीजिए: धारा 53, 54ख, 54व और 54ड के अधीन छूट की रकम  
अतिशेष

जोड़िए: “पंजी अभिलाभ” शब्द के अधीन प्रभार्य समझा गई आय की रकम—  
धारा 54 ड (2)

(ii) टिप्पण 2 में “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(छ) उपावन्ध च में, भाग 1 में, मद 3 में से 12 तक को क्रमशः मद 4 से 13 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 4 से पूर्व निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:  
“3. कतिपय क्षेत्रों में नए स्थापित किए गए लघु औद्योगिक उपकरणों से लाभ और अभिलाभ 80 जजक”;

(ज) उपावन्ध ज में, मद 3 में,—

(i) “भाटक, व्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक, कमीशन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “चार सौ व पाए” शब्दों के स्थान पर “एक हजार स्पए” शब्द रखे जाएंगे;

(2) प्रलूप सं. 2 में,—

(क) उपावन्ध घ में, भाग 1 में,—

(1) उपभाग ख में, मद 3 में,—

(क) उपमद (च), (छ) और (ज) को क्रमशः उपमद (छ), (ज) और (झ) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद छः के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(च) ग्राम विकास मोके—

धारा 35 ग्रंथ”;

(ब) उपमद (झ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(झ) सत्कार व्यय—

धारा 37(2) और (2क)

(ज) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-सत्र पर व्यय—

धारा 37(3) और (4) नियम 6ख और 6वं”;

(ग) उपमद (ट), (ठ) और (ड) को क्रमशः उपमद (ठ), (ड) और (ड) के रूप में पुनःअंकित किया जाएगा;

(ii) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में “दावा किया गया विनियोजन मोक” शब्दों के नीचे “(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)” कोठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपाधन ड में, भाग 2 में,—

(i) “कटौती कीजिए” धारा 53, 54, 54ख और 54घ के अधीन छूट की रकम” शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“कटौती कीजिए धारा 53, 54, 54ख, 54घ और 54ड के अधीन छूट की रकम”  
अतिशेष .....  
अतिशेष .....  
जोड़िए “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझी गई आय की रकम

धारा 54ड (2) .....”;  
.....

(ii) टिप्पण 2 में “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपाधन छ में, भाग 1 में—

(i) मद 3 से 11 तक को क्रमशः मद 4 से 12 तक के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित मद 4 से पूर्व निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“3. कतिपय क्षेत्रों में नए स्थापित किए गए लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ 80जजक”;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्याकित मद 12 में, “80दद, 80घ” अंकों और अक्षरों के स्थान पर “80दद, 80ददक, 80घ” अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपाधन झ में, मद 6 में,—

(i) “भाटक, ब्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक कमीशन” शब्द रखे जाएंगे;

- (ii) "चार सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
- (3) प्ररूप 3 में, उपाबन्ध ग में, भाग 2 में,—
- (i) "कटौती कीजिए": धारा 53, 54 और 54ख के अधीन छूट की रकम शब्दों अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
 "कटौती कीजिए": धारा 53, 54, 54ख और 54ड के अधीन छूट  
 की रकम .....  
 अतिशेष .....  
 जोड़िए: "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझी गई आय की रकम  
 धारा 54ड(2) .....
- (ii) टिप्पण 2 में "1.1.54" अंकों के स्थान पर "1.1.1964" अंक रखे जाएंगे
- (4) प्ररूप सं० 3क में,—
- (क) भाग 1 में, मद 6 में "71, 73(1)" अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "71, 72क.  
 73(1)" अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ख) उपाबन्ध ग में, भाग 1 में,—
- (i) उपभाग ख में, मद 3 में,—
- (क) उपमद (च), (छ) और (ज) को उपमद (छ), (ज) और (झ) के रूप में क्रमशः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद (छ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—  
 "(च) ग्राम विकास मोक"—  
 धारा 35 गग";
- (ख) उपमद (झ) और (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित उपभदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—  
 "(झ) सत्कार व्यय"—  
 धारा 37(2) और 2(क)
- (अ) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-भत्ते पर व्यय—  
 धारा 37(3) और (4), नियम 6ख और 6घ";
- (ग) उपमद (ट) से लेकर (ठ) तक को क्रमशः उपमद (ठ) से लेकर (ण) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;
- (ii) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में "दावा किया गया विनियोजन मोक" शब्दों के नीचे "(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)" कोष्ठक और शब्द अंतः-स्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपाबन्ध छ में, भाग 2 में,—

(i) “कटौती कोजिएः धारा 53, 54, 54ख और 54घ के अधीन छूट की रकम”  
शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,  
अर्थात्:—

“कटौती कोजिएः धारा 53, 54, 54ख, 54घ अथवा 54ड के अधीन

छूट की रकम

अतिशेष

जोड़िएः “पूँजी अभिलाभ” शब्द के अधीन प्रभार्य समझी गई आय की रकम।  
धारा 54ड (2)

(ii) टिप्पण 2 में, “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(घ) उपाबन्ध (छ) में,—

(i) “उपाबन्ध छः” शब्द अक्षर से आरम्भ होने वाले तथा “पूर्व संदर्भ कर”  
शब्दों से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,  
अर्थात्:—

“उपाबन्ध छः पूर्व संदर्भ करों की विवरणी”;

(ii) “टिप्पण 1” शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहाँ वे आए हैं, “टिप्पण”  
शब्द रखा जाएगा;

(iii) भाग 2 का लोप किया जाएगा;

(iv) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपाबन्ध ट में, मद 3 में,—

(i) “भाटक, ब्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक, कमीशन” शब्द रखे  
जाएंगे;

(ii) “चार सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(5) प्रलृप सं० 50 में, “400₹” अक्षर और अंकों के स्थान पर “1000 ₹” अक्षर  
और अंक रखे जाएंगे।

[सं० 2067/फा सं० 142/22/77-टी पी एल]

एस० एन० शेडे, सचिव।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977